सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

17वीं लोक सभा

77

सतहत्तरवां प्रतिवेदन

[रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा 17वीं लोक सभा के 26वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई]

(16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2022/फाल्गुन,1943(शक)

विषय सूची

		पृष्ट
समिति की सरंचना (2021-2022)		(iii)
प्राकथन		(v)
प्रतिवेदन	रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा 17वीं लोक सभा के 26वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई	01
परिशिष्ट-I	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/निष्कर्षों पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण	03
परिशिष्ट-II	समिति की 20 दिसंबर 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश के उद्धरण	09

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2021-2022)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्ला कुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनिष कुमार रेवाड़ी - निदेशक
3. श्रीमती मंजिन्दर पब्बी - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर रेलवे संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब से संबंधित 26वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी यह 77वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. 26वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) दिनांक 23.09.2020 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 24.12.2020 को अपने उत्तर प्रस्तुत किए, जिसमें 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया था। समिति ने 20 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु समिति उनकी सराहना करती है।

4. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**
8 फरवरी, 2022 **सभापति**
19 माघ, 1943(शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

प्रतिवेदन

समिति का यह प्रतिवेदन रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति द्वारा अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है, जिसे 23.09.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2. उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों /टिप्पणियों के संबंध में सरकार से की-गई- कार्रवाई टिप्पण प्राप्त हो गए हैं। तदनुसार, छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट** में दिया गया है।

3. समिति ने अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन में यह इंगित किया था कि यह वांछनीय है कि वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं एक साथ सभा पटल पर रखने के लिए मूल अधिनियम में उपयुक्त उपबंध सम्मिलित किया जाए। इस संबंध में अपने उत्तर में, मंत्रालय ने बताया कि रेल अधिनियम, 1989 और मेट्रो रेल (ओएंडएम) अधिनियम, 2002 के निर्धारित उपबंधों के अंतर्गत आयोग की पृथक लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए कोई उपबंध नहीं है और यह कि आयोग के लेखापरीक्षित लेखा प्रतिवेदनों को नागर विमानन मंत्रालय के लेखापरीक्षित लेखा प्रतिवेदनों के साथ सभा पटल पर रखा जाता है। चूंकि आयोग का वार्षिक बजट 15 करोड़ रुपए (जिसमें से 13 करोड़ रुपए केवल वेतन के लिए है) का है, जोकि पृथक लेखापरीक्षा के लिए बहुत कम है। इसलिए, इसकी लेखापरीक्षा नागर विमानन मंत्रालय की लेखाओं के साथ की जाती है जिसके तहत आयोग को बजट आवंटित किया जाता है।

4. समिति ने अपने छब्बीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में वर्ष 2013-2014 से संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को समय से सभा पटल पर रखने में नागर विमानन मंत्रालय की विफलता को इंगित किया था और यह सिफारिश की थी कि भविष्य में सीआरएस, लखनऊ के दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जाए।

5. समिति इस बात की सराहना करती है कि सरकार ने उक्त प्रतिवेदन में की गई समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उनके कार्यान्वयन के लिए कदम भी उठाए हैं। सीआरएस, लखनऊ के वर्ष 2013-2014 से 2015-2016 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों को 01 से 25 माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था और वर्ष 2016-2017 के दस्तावेजों को लगभग निर्धारित समयावधि के भीतर अर्थात 03 दिन के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था। समिति यह भी नोट करती है कि वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के दस्तावेजों जिन्हें संबंधित वित्त वर्षों की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखना आवश्यक था, उन्हें 25.07.2019 और 11.02.2021 को क्रमशः 06 माह 25 दिन और 13 माह 11 दिन के विलंब से सभा पटल पर रखा गया था। मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में होने वाले विलंब को कम किया और उन्हें 25.03.2021 को 02 माह 25 दिनों के विलंब से सभा पटल पर रखा गया। समिति आशा करती है कि मंत्रालय और सीआरएस, लखनऊ भविष्य में सीआरएस, लखनऊ के दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास करते रहेंगे।

नई दिल्ली
20 दिसम्बर, 2021
29 अग्रहरायण,1943 (शक)

रितेश पाण्डेय
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

परिशिष्ट-I

(प्रतिवेदन का पैरा 2 देखें)

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के इस छब्बीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिश/निष्कर्ष पर की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(सिफारिश क्रम संख्या 12)

समिति को सूचित किया गया था कि 2012-13 से 2014-15 तक रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ की वार्षिक रिपोर्टें देने में देरी के कारण मुख्य रूप से आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के संकलन और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूर्णता के कारण थे अर्थात, भारतीय रेलवे के कामकाज और कामकाज पर रिपोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां, रेल मंत्रालय के विचारों / टिप्पणियों को रिपोर्ट के कुछ अध्यायों में शामिल करने की मांग की गई थी। समिति आगे ध्यान देती है कि अंतर-मंत्रालयी पत्राचार और फिर से निष्कर्ष अपरिहार्य हो जाता है। अंतिम दुर्घटना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय दुर्घटना की तारीख से छह महीने है, जिनमें से कुछ निश्चित बाधाओं जैसे पुलिस मामलों, कानूनी मुद्दों, अदालती मामलों आदि के कारण और भी देरी हो जाती है। दुर्घटना की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद उनकी टिप्पणियों और एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए रेल मंत्रालय को भेज दिया जाता है, जिसमें कुछ समय लगता है। इसके अलावा, एक विशेष वित्तीय वर्ष में हुई दुर्घटना को उस वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना है, इसलिए देरी हुई। समिति का सुझाव है कि नागर विमानन मंत्रालय और रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की प्रक्रियागत देरी को दूर करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

सरकार का जवाब

आयोग, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने में आयोग द्वारा सामना किए गए विभिन्न मुद्दों को मान्यता देने के लिए समिति का आभारी है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कुछ अध्यायों का संकलन पूरी तरह से रेलवे के आंकड़ों पर निर्भर करता है यानी

दुर्घटना जांच रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया। मुद्दा और अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि केवल गंभीर दुर्घटनाएँ होती हैं, जो रेलवे दुर्घटनाओं का मात्र 8-10% हैं, आयुक्तों द्वारा पूछताछ की जाती है और शेष 85% -90% दुर्घटनाओं का रेलवे प्रशासन द्वारा उचित स्तर पर विश्लेषण किया जाता है। रेलवे शायद ही कभी अपनी जांच

रिपोर्ट (90% मामले) आयुक्तों को सौंपता है। इसके अलावा, रेलवे अपनी जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसलिए, स्वीकार/ अस्वीकार की गई सिफारिशों की स्थिति आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गई है।

रेलवे अपनी रिपोर्ट में आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करने में आम तौर पर बहुत हीटालने वाला है। इन सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए आयोग को अपने अधिकारियों को रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्त करना होगा, ताकि इन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सके। अतीत में इस समस्या को हल करने के लिए कई अंतर-मंत्रालयी बैठकें हुई हैं, लेकिन जहां तक आयोग का सवाल है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ है।

यह मुद्दा और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि आयोग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जो 180 से अधिक कर्मचारियों की स्वीकृत पदों के विपरीत मुश्किल से 60% पद संचालित किए जा रहे हैं। उस रिक्ति के साथ रेलवे बोर्ड को आधिकारिक रूप से बार-बार भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है और सक्षम प्राधिकारी से उनके द्वारा की गई दुर्घटनाओं के बारे में सिफारिशों और विवरणों पर अपनी प्रतिक्रिया देने का अनुरोध करते हैं। रेल मंत्रालय हमारी चिंता को कम से कम संज्ञान देता है। रेलवे का ऐसा रवैया (जैसे नियमों में एकतरफा बदलाव / विनियम / विशिष्टता, दुर्घटना की सिफारिशों के बारे में देरी/कोई प्रतिक्रिया नहीं, गैर-गंभीर दुर्घटना की जानकारी के बारे में टालमटोल रवैया) परिवहन, संस्कृति और पर्यटनकी संसदीय स्थायी समिति की विभिन्न रिपोर्टों में परिलक्षित होता है और नागर विमानन मंत्रालय से जुड़ा हुआ है।

उपरोक्त मुख्य कारण हैंकि हमारे सर्वोत्तम प्रयास किएजाने के बावजूद भी समय पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी होती।हालाँकि, हम समिति को आश्वस्त करते हैं कि हमारे द्वारा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में एक बड़ा कदम मु.रे.सं.आ.मुख्यालय को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित करना है। यह वार्षिक रिपोर्ट के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में रेलवे बोर्ड से बेहतर समन्वय में मदद करेगा।इसके अलावा, सचिव, नागर विमानन ने भी सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अपडेट देने के लिए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड को डी.ओ. पत्र भेजा है।

हम समिति को आश्वस्त करते हैं कि भविष्य में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, यदि हमारे नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण कोई विलंब होता है तो विलंब के कारणों को भी सूचित किया जाएगा।

(नागर विमानन मंत्रालय का कार्यालय
ज्ञापन संख्या एच-11021/01/2018-आर.एस. दिनांक-24.12.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

समिति ध्यान देती है कि नागर विमानन मंत्रालय और रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ ने रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 10 और मेट्रो रेलवे (ओ. एण्ड एम.) अधिनियम, 2002 की धारा 12 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। समिति ने नोट किया कि वर्ष 2012-13 की वार्षिक रिपोर्ट 19 महीने की देरी के साथ 03.08.2015 को सदन के पटल पर रखी गई। समिति ने यह भी ध्यान दिया कि 27 दिसंबर, 2016 को आयोजित नागर विमाननमंत्रालय के साक्ष्य के बाद, 2013-2014, 2014-2015 और 2015-2016 तक के वर्षों के लिए रेल संरक्षा आयोग,लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट 09 फरवरी, 2017 को लगभग 25 महीने, 13 महीने और 01 महीने की देरी के साथ पटल पर प्रस्तुत की गई थी। 2016-2017की वार्षिक रिपोर्ट में आगे 04.01.2018 को 03 दिन की देरी से सदन के पटल पर रखी गयी थी, और 2017-2018 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 25.07.2019 को 07 महीने की देरी से रखी गई थी। हालांकि, वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा अभी तक सदन के पटल पर नहीं रखे गए हैं।

<u>सरकार का जवाब</u>

जैसा कि ऊपर पैरा -12 में बताया गया है कि 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी इसी तरह के कारणों के कारण विलंबित हो गया। हालाँकि, अब रिपोर्ट तैयार की गई है और आगामी सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखने के लिए लोक/राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत किया जा रहा है।

(नागर विमानन मंत्रालय का कार्यालय
ज्ञापन संख्या एच-11021/01/2018-आर.एस. दिनांक-24.12.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

समिति को इस बात से अवगत कराया गया कि सदन के पटल पर लेखा परीक्षित रखने के संबंध में रेल संरक्षा आयोग, लखनऊ में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। समिति यह वांछनीय मानती है कि वित्तीय वर्ष के बंद होने के 9 महीने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित खातों को एक साथ रखने के लिए मूल अधिनियम में एक उपयुक्त प्रावधान शामिल किया गया है।

<u>सरकार का जवाब</u>:

जैसा कि पहले बताया गया है कि रेलवे अधिनियम, 1989 और मेट्रो रेलवे(ओ. एण्ड एम.) अधिनियम, 2002 के निर्धारित प्रावधानों के तहत आयोग के अलग-अलग परीक्षित खातों को रखने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं और आयोग की लेखा परीक्षित रिपोर्टें नागर विमानन मंत्रालय की लेखा परीक्षित रिपोर्ट के साथ रखी गई हैं। जैसा कि आयोग का वार्षिक बजट 15 करोड (जिसमें से 13 करोडकेवल वेतन के लिए है)के अनुरूप है,जो कि अलग लेखा परीक्षा के लिए एक बहुत ही अल्प राशि है। इसलिए, यह नागर विमानन मंत्रालय केखातों के ऑडिट के साथ किया जाता है जो आयोग को बजट आवंटित करता है।

(नागर विमानन मंत्रालय का कार्यालय
ज्ञापन संख्या एच-11021/01/2018-आर.एस. दिनांक-24.12.2020)

(सिफारिश क्रम संख्या 15)

यह समिति मंत्रालय को यह भी बताती है कि यदि अपरिहार्य कारणों से, रेल संरक्षा आयोग,लखनऊ की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित खातों को निर्धारित समय के भीतर सदन के पटल पर नहीं रख सकता है; निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज क्यों नहीं लगाए जा सकते हैं, इसके कारणों की व्याख्या करते हुए एक बयान 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सदन चालू होता है, जो भी बाद में हो, सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए।

<u>सरकार का जवाब</u>

जैसा कि पैरा 12 के पुनरावृत्ति में ऊपर बताया गया है, रिपोर्ट प्रस्तुत करने में आयोग द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद देरी हो रही है। हम समिति को आश्वस्त करते हैं कि रेलवे से लेकर सूचना आयोग तक की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, जैसा कि समिति द्वारा निर्देशित किया गया है, अगर कोई देरी होती है, तो देरी के कारणों को बताते हुए एक बयान निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(नागर विमानन मंत्रालय का कार्यालय
ज्ञापन संख्या एच-11021/01/2018-आर.एस. दिनांक-24.12.2020)

परिशिष्ट-II

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण</u>

समिति की बैठक, **सोमवार**, 20 **दिसम्बर**, 2021 को 15:00 बजे से 16:50 बजे तक समिति कक्ष '**ग**', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी **शंकर** उलाका
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. **श्रीमती सुमन अरोड़ा** - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. **श्रीमति मंजिन्दर पब्बी** - अवर सचिव

XX XX XX XX XX

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित **चार (4) प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

मूल प्रतिवेदन

i. नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एल.), नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब; तथा

ii. नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब ।

की गई कार्रवाई प्रतिवेदन

iii. जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सर कार द्वारा की गई कार्रवाई; और

iv. रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा 17वीं लोक सभा के 26वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के **इन चार** प्रारूप **प्रतिवेदनों** को स्वीकार किया। समिति ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इन प्रतिवेदनो (केवल मूल प्रतिवेदन) के तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर इन प्रतिवेदनो को संसद में प्रस्तुत करने के लिए माननीय सभापति को अधिकृत किया।

5. से 17. **XX XX XX XX XX**

<u>तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

(XX- साक्ष्य कार्यवाही और उसके कार्यवाही सारांश जो विषय से संबंधित नहीं हैं, अलग से रखे गए हैं।)